अपील सूचना अधिकार संख्या 72/2019 (RCMS 2019/00206) श्री हरचन्द पुत्र श्री ख्यालीराम, ग्राम पोस्ट राजपुरा पिपेरन तहसील सूरतगढ जिला श्रीगंगानगर पिन कोड– 335804 बनाम लोक सूचना अधिकारी एवं तहसीलदार, सूरतगढ़

30.09.2019

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

पत्रावली पेश हुई। अपीलार्थी श्री हरचन्द स्वयं उपस्थित नहीं हुआ। पत्रावली का अवलोकन किया गया। पत्रावली के अवलोकन से पाया कि अपीलार्थी ने लोक सूचना अधिकारी एवं तहसीलदार राजस्व, सूरतगढ के समक्ष दिनांक 30.07.2019 को सूचना का अधिनियम 2005 की धारा 6(1) के तहत एक प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करके 02 बिन्दुओं की सूचना चाही गई थी, जो लोक सूचना अधिकारी द्वारा उसे उपलब्ध नहीं करवाई गई है। इसलिए अपीलार्थी ने लोक सूचना अधिकारी से वांछित सूचनाएं उसे उपलब्ध करवाई जावे।

मैनें पत्रावली का अवलोकन किया तो पाया कि अपीलार्थी श्री हरचन्द भांभू ने सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के तहत अपने आवेदन पत्र दिनांक 30.07.2019 के द्वारा लोक सूचना अधिकारी एवं तहसीलदार, सूरतगढ के समक्ष प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निम्न सूचना चाही थी:

1. प्रासंगिक खसरा संख्या 129 (रकबा 38 बीघा 15 बिस्वा), भूमि के वर्तमान चकबन्दी में समायोजन के बाद संबंधित मु.नं. एवं किला नं. की जानकारी युक्त विवरण पत्र की प्रमाणित प्रतिलिपि। (श्रीमान्जी आपके पत्र क्रमांक :भू.अ./2018/7667 दिनांक 13.12.2018 एवं पत्र क्रमांक 6836 दिनांक 25.08.2018 द्वारा यह स्पष्ट किया जा चुका है कि ग्राम राजपुरा पिपेरन से संबंधित सूची नं. 4 पूर्णतः जीर्ण शीर्ण है एवं इसकी प्रतिलिपि दिया जाना सम्भव नहीं है। अतः इस बाबत प्रमाणित विवरण पत्र चाहा गया है। श्रीमानजी, सूचनाएं डाक द्वारा उपलब्ध करवाने की कृपा करें। इस बाबत नियमानुसार चाहा गया समस्त शुल्क, डाक खर्च सहित, द्वारा चैक, जमा करवा दिया जावेगा।)

जिला कलेक्टर
श्रीगंगानगर

2. प्रासंगिक खसरा संख्या 129 (रंकबा 38 बीघा 15 बिस्वा), संबंधी उपनिवेशन विभाग, बीकानेर द्वारा सम्वत् 2018–2020 में की गई सर्वे संबंधी सर्वे खसरा रजिस्टर एवं सर्वे शीट की प्रमाणित प्रतिलिपि।

उक्त अपील पत्र के संदर्भ में लोक सूचना अधिकारी एवं तहसीलदार, सूरतगढ अपील पत्र का आदिनांक तक कोई जवाब पेश नहीं किया है परन्तु अपीलार्थी ने अपने अपील पत्र के साथ तहसीलदार, सूरतगढ के पत्रांक भू.अ./सू.का.आ./2018/4238 दिनांक 19.08.2019 की प्रति शामिल की है जिसके अनुसार तहसीलदार, सूरतगढ ने अपीलार्थी को निम्नानुसर जवाब दिया है :

आप द्वारा चाही गई सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 में दिनांक 30.07.2019 को प्रस्तुत प्रार्थना पत्र के सम्बन्ध में बिन्दुवार सूचना निम्नानुसार है:

बिन्दु संख्या 1 :– राजपुरा पीपेरन की सूची नं. 4 पूर्णतः जीर्ण–शीर्ण है जिसकी प्रमाणित प्रति दिया जाना सम्भव नहीं है। अतः आप किसी भी कार्यालस दिवस में उपस्थित आकर सूची नं. 4 का अवलोकन कर सकते है।

बिन्दु संख्या 2 – खसरा नं. 129 में सम्बन्धी उपनिवेशन विभाग द्वारा सम्वत् 2018–2020 में की गई सर्वे सम्बन्धी सर्वे खसरा रजिस्टर व सर्वे शीट कार्यालय अभिलेख में तलाश की जा रही है। पत्रावली मिलने पर प्रमाणित प्रति उपलब्ध करवा दी जावेगी।

-sd-
(प्रदीप कुमार)
तहसीलदार (भू.अ.)
सूरतगढ़

जिला कलेक्टर
श्रीगंगानगर

सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की **धारा 2(एफ)** के अनुसार सूचना वही देय है जिस पर लोक सूचना अधिकारी की पहुंच हो अर्थात दूसरे शब्दों में सूचना वही देय है जो निश्चित अभिलेखो में उपलब्ध हो और प्रश्नात्मक रूप में नही होनी चाहिए। तृतीय पक्ष से सम्बन्धित नहीं होनी चाहिए एवं कार्यालय के कार्य संसाधनों को प्रभावित करने वाली अर्थात विस्तृत नहीं होनी चाहिए। सूचना के रूप में प्रत्यर्थी न तो कोई नई सूचना बना सकते है और न ही वे स्वयं का मत दे सकते है। लोक सूचना अधिकारी से यह अपेक्षित है कि वह आवेदक को सामग्री उसी रूप में प्रदान करें जिस रूप में लोक प्राधिकरण के पास उपलब्ध है। सामग्री में से कुछ तथ्यों को खोज कर नागरिक को ऐसे खोजें गये तथ्यों को प्रदान करना लोक सूचना अधिकारी का काम नही है। इस **अधिनियम के प्रावधानो के अन्तर्गत किसी लोक सूचना अधिकारी को किसी भी कार्य को किसी विशेष तरीके से करने या न करने के आदेश/निर्देश नही दिये जा सकते** सूचना का अधिकार अधिनियम में प्रदत्त सूचना का अर्थ विभिन्न स्वरूपों में उपलब्ध सूचना तक सीमित है तथा जिस स्वरूप में सूचना उपलब्ध है उसी रूप में उसे प्रदान किया जा सकता है। **सूचना के रूप में कोई सुझाव देना, किसी परिवेदना के निवारण के लिए प्रार्थना करना अथवा किसी नियम या सामग्री के बारे में स्पष्टीकरण या उसकी व्याख्या प्राप्त करने की कोई गुंजाईश नही है। इस दृष्टिकोण से लोक सूचना अधिकारी** द्वारा बिन्दु संख्या 01 का जो उत्तर दिया गया है, वह सही है, उसमें किसी प्रकार के हस्तक्षेप की आवश्यकता नहीं हैं एवं बिन्दु संख्या 02 के सम्बन्ध में लोक सूचना अधिकारी को निर्देशित किया जाता है कि बिन्दु संख्या 02 से सम्बन्धित रिकॉर्ड तलाश कर अपीलार्थी द्वारा चाही गई सूचनाओं में यदि किसी निश्चित दस्तावेज की प्रमाणित प्रति चाही गई हो तो वह उसे नियमानुसार शीघ्र **उपलब्ध करवा दी जावे।**

जिला कलेक्टर
श्रीगंगानगर

अतः अपीलार्थी की अपील उक्त विवेचन के आधार पर आंशिक रूप से स्वीकार की जाती है। **आदेश की प्रति लोक सूचना अधिकारी एवं तहसीलदार, सूरतगढ को पालनार्थ भिजवाई जावे एवं अपीलार्थी को सूचनार्थ निर्णय की प्रति भिजवाई जावे।** पत्रावली बाद तरतीब़ तकमी़ल दाखि़ल दफ़्तर हो।

यह आदेश आज दिनांक 30.09.2019 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(शिवप्रसाद एम. नकाते)
जिला कलैक्टर
श्रीगंगानगर